रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 123] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 28, 2010/वैशाख 8, 1932
No. 123] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 28, 2010/VAISAKHA 8, 1932

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 23 अप्रैल, 2010

सं. टीएएमपी/19/2006-एसडब्ल्यूपीएल.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा, मुर्मूगांव पत्तत न्यास में बर्थ सं. 5 ए और 6 ए स्थित मल्टीपर्पज बल्क कार्गो टर्मिनल के लिए साउथ वैस्ट पोर्ट लिमि. के दरमान की वैधता को संलग्न आदेशानुसार विस्तार प्रदान करता है ।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी/19/2006-एसडब्ल्यूपीएल

साउथ-वैस्ट पोर्ट लिमिटेड ..... **आवेदक**

आदेश

(मार्च, 2010 के 31वें दिन पारित)

यह प्रकरण मुर्मूगांव पत्तत न्यास में बर्थ सं. 5 ए और 6 ए स्थित मल्टीपर्पज बल्क कार्गो टर्मिनल के लिए साउथ वैस्ट पोर्ट लिमिटेड (एसडब्ल्यूपीएल) के वर्तमान दरमान के विस्तार से संबंधित है ।

2. कथित मल्टीपर्पज कार्गो टर्मिनल के लिए वर्तमान दरमान इस प्राधिकरण द्वारा पिछली बार दिनांक 29 दिसम्बर, 2006 के आदेश के माध्यम से अनुमोदित किया गया था और दरमान की वैधता 31 मार्च, 2010 तक निर्धारित की गई थी ।

3. 19 मार्च, 2010 को प्रस्तुत मसौदा दरमान के साथ अपने दरमान के संशोधन के लिए एसडब्ल्यूपीएल द्वारा दाखित प्रस्ताव 16 फरवरी, 2010 को प्रशुल्क प्रकरण के रूप में पंजीकृत किया गया है और परामर्श पर लिया गया है । एसडब्ल्यूपीएल ने दिनांक 18 मार्च, 2010 के पत्र द्वारा, वर्तमान दरमान की वैधता, और छः माह की अवधि के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया है ।

4. एसडब्ल्यूपीएल द्वारा दाखिल किए गए प्रस्ताव की आंतरिक जांच-पड़ताल में अभी कुछ समय लगेगा । चूंकि दरमान की वैधता 31 मार्च, 2010 को समाप्त हो रही है, इसकी वैधता 31 मार्च, 2010 से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है । अतएव, यह प्राधिकरण वर्तमान प्रशुल्क की वैधता 30 सितम्बर, 2010 अथवा संशोधित प्रशुल्क के क्रियान्वयन की प्रभावी तिथि, इनमें से जो भी पहले हो तक विस्तारित करता है ।

5. 1 अप्रैल, 2010 के बाद वाली अवधि में, ग्राह्य लागत और अनुमेय प्रतिलाभ से अधिक यदि कोई अतिरिक्त अधिशेष उभरता हो, उसे निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में पूरी तरह समायोजित किया जाएगा ।

रानी जाधव, अध्यक्षा

[विज्ञापन III/4/143/10-असा.]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 23rd April, 2010

No. TAMP/19/2006-SWPL.—In exercise of the powers conferred under Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of its Scale Rates of South West Port Limited for Multipurpose Bulk Cargo Terminal at berth Nos. 5A and 6A in the Mormugao Port Trust as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

No. TAMP/19/2006—SWPL

South West Port Limited .... Applicant

ORDER

(Passed on this 31st day of March, 2010)

This case relates to extension of the existing Scale of Rates (SOR) of South West Port Limited (SWPL) for the multipurpose bulk cargo terminal at berth Nos. 5A and 6A in the Mormugao Port Trust.

2. The existing SOR for the said multipurpose cargo terminal was last approved by this Authority *vide* Order dated 29th December, 2006 and the validity of the SOR was prescribed till 31st March, 2010.

3. The proposal dated 16th February, 2010 filed by the SWPL for revision of its SOR along with the draft SOR furnished on 19th March, 2010 has been registered as tariff case and is taken on consultation. The SWPL, *vide* letter dated 18th March, 2010, has requested to extend the validity of the exiting SOR for a period of further six months.

4. The proposal filed by the SWPL will take time for internal examination. As the validity of the SOR expires on 31st March, 2010 it is necessary to extend the validity beyond 31st March, 2010. This Authority, therefore, extends the validity of the existing tariff till 30th September, 2010 or till effective date of implementation of the revised tariff, whichever is earlier.

5. Additional surplus, if any, over and above the admissible cost and permissible return for the period post 1st April, 2010 will be adjusted fully in the tariff to be determined.

RANI JADHAV, Chairperson

[ADVT III/4/143/10-Exty.]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.